(ख) यदि हां, तो उत्पादन में हुई इस कमी को दूर करने के लिये कब तक कार्यवाही की जायेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) वर्ष के प्रारम्भ मे निर्माताओ के लिये 1978-79 के लिये 25 लाख टन नाईट्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था नौ सयत्रों के प्रारम्भ होने की सशोधित तिथि, बिजली, कच्चे माल आदि की उपलब्धता की कठिनाई आदि को ध्यान मे रखते हुए वर्ष के लिए अत 22 5 लाख टन नाइट्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है । अप्रैल, मई 1978 के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन 2 93 लाख टन था ।

(ख) अप्रैल-मई, 1978 के दौरान नाइट्रोजन के उत्पादन मे कमी का कारण दुर्गापुर, बिरौनी और कोचीन प्लांटो मे यांत्रिक खराबी के कारण वार्षिक अनुकरण की अवधि मे वृद्धि हो जाना था । अनुकरण अवधि के दौरान किये गये परिवर्धन कार्यों से बाद मे अच्छे निस्पादन की आशा है और यह भी आशा है कि वर्ष 1978-79 के लिये निर्धारित 22 5 लाख टन नाइट्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा ।

विधि कालेजों में प्रवेश के बारे में भारतीय बार परिषद् की समिति की सिफारिशें

2228. श्री छोटूभाई गामित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बार परिषद् ने कानूनी शिक्षा संबंधी अपनी समिति की सिफारिशों को मान लिया है कि विधि कालेजों मे प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के विद्यार्थियो को अंको मे पाच प्रतिशत की छूट दी जाये ;

(ख) यदि हा, तो क्या यह छूट अन्य शिक्षा सस्थाओ मे ऐसे विद्यार्थियो को दी गई छूट के बराबर है, और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) :(क) जी हा

(ख) और (ग). विधिज्ञ परिषद् के सकल्प मे अनुसूचित जातियो के लिए सुरक्षित स्थानो के न भरे जाने की दशा मे अंक की प्रतिशतता मे और ढील देने के प्रश्न की चर्चा नही है । यह विषय भारतीय विधिज्ञ परिषद् की जानकारी मे लाया गया था किन्तु इस परिषद् ने तारीख 6 व 7 मई, 1978 को हुई अपनी बैठक मे यह निश्चय किया कि वह (परिषद्) अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के सदस्यो को विधि के पाठ्यक्रम मे प्रवेश के लिए अंको की न्यूनतम प्रतिशतता मे और ढील देने के पक्ष मे नही है ।

Proposal to attach two bogies for passengers travelling between Calcutta and Nawadha

2229 SHRI NATHUNI RAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state

(a) whether there is any proposal/suggestion to attach two bogies for passengers travelling between Calcutta and Nawahda and Nawadha to Delhi;

(b) if so, what action has been taken to implement the above proposal; and